

12.03.2024

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अतः अपीलांट की यह अपील अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।


(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही

